भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6113
जिसका उत्तर बुधवार,4अप्रैल,2018 को दिया जाना है

**विचाराधीन कैदियों की रिहाई**

**6113. श्री असादुद्दीन ओवैसी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विचाराधीन कैदियों की रिहाई में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है ;

(ख) यदि हां, तो विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त सिफारिशों से जेल में पड़े 2.38 लाख विचाराधीन कैदियों की रिहाई में कितनी सहायता मिलने वाली है ;

(घ) क्या विधि आयागे नेइस संबंध मेराजस्थान बनाम बालचंद के उच्चतम न्यायालय के 40 वर्ष पूर्व के निर्णय को उद्धृत किया है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विधि आयोग की सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)**

**(क) से (घ) :** सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**********